सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां।

सहायक कलेक्टर, ओसियां 20/8/19

वाद संख्या:– /

तारीख पेशी:– 20/8/19

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

सुमेरसिंह सूरजकंवर वगैरा

प्रार्थना पत्र बाबत् वाद जरिये विड्रोल खारिज करने

महोदयजी,

वादी की तरफ से निम्न निवेदन हैः–

1. यह है कि वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत 88..53..188 धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मय स्थगन प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर रखा है। जो वर्तमान में विचाराधीन है।
2. यह है कि प्रतिवादी सुरजकंवर द्वारा श्रीमति कमोदकंवर को बेचान सुदा भूमि में से पुनः 8 बीघा भूमि कमोदकंवर द्वारा सुमेरसिंह को रजिस्ट्री कराने की शर्त पर जरिये इकरारनामा के गांव मुख्यिान की समझाईश से राजीनामा हो गया है तथा कमोद कंवर द्वारा भूमि बेचान बाबत् एक इकरारनामा भी वादी के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है। इसलिए वादी उक्त वाद को जरिये राजीनामा विड्रोल करना चाहता है। इकरारनामा की पालना नहीं होने पर वादी नया वाद पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगें।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का वाद जरिये राजीनामा विड्रोल करने का आदेश फरमावें।

सुमेरसिंह

वादी

प्रतिवादीगण

देवीसिंह

कमोदकंवर

शम्भुसिंह